भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 856

उत्तर देने की तारीख : 17.09.2020

एमएसएमई पर कोविड-19 का प्रभाव

856. श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धनोरकरः

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः

श्री पी॰सी॰ गद्दीगौदरः

श्री के॰ नवासखनीः

श्री पी॰के॰ कुन्हालीकुट्टीः

श्री बिद्युत बरन महतोः

श्री सुधीर गुप्ताः

श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में कोविड-19 के फैलने और उसके बाद लॉकडाउन के कारण कई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) कर्ज के जाल में फंस गए हैं और छंटनी कर रहे हैं तथा बंद होने की कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार विशेष रूप से कर्नाटक राज्य का ब्यौरा क्या है और उनके बंद होने के प्रमुख कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध् में उक्त एमएसएमई के घाटे का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का रुग्ण या बंद एमएसएमई की सहायता के लिए किसी भी तरह की सहायता/प्रोत्साहन का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार ने इस महामारी की अवधि के दौरान एमएसएमई क्षेत्र में औद्योगिकी इकाइयों की सहायता के लिए कोई प्रोत्साहन प्रदान किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री नितिन गडकरी)

(क) से (ग): कोविड-19 के प्रकोप और उसके बाद लॉकडाउन के पश्चात एमएसएमई क्षेत्र पर दबाव को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड-19 के प्रकोप के पश्चात एमएसएमई क्षेत्र के पुनर्जीवन/ पुनरुद्धार के लिए कई उपायों की घोषणा की है। अन्य बातों के साथ-साथ इन उपायों में शामिल हैं, (i) मियादी ऋण/नगदी ऋण/ ओवरड्राफ्ट की किस्तों के पुनर्भुगतान पर 31 अगस्त 2020 तक मोरटोरियम (ii) नगद आरक्षित अनुपात तथा रेपो रेट को घटाना (iii) आगे ऋण प्रदान करने/पुनर्वित्तपोषण के लिए सिडबी को 15,000 करोड़ रुपए की विशेष पुनर्वित्तपोषण सुविधा (iv) एनबीएफसी, एचएफसी एमजीआईएस के लिए 30,000 करोड़ रुपए की विशेष नगदी तरलता योजना (v). मानक खातों तथा दबाव वाले खातों (एस एम ए-0 और एस एम ए 1) के लिए 3 तीन लाख करोड़ रुपए की आकस्मिक क्रेडिट गारंटी लाइन (vi) एमएसएमई क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपए के समावेशन के लिए एस एम ए- 2 तथा एनपीए खातों के लिए अधीनस्थ ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (vii) स्ट्रीट वेंडर के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (पीएमएसबीए निधि) जिसमें ब्याज सब्सिडी भी शामिल है (viii) एनबीएफसी तथा एम एफ आई इत्यादि की देनदारियों के लिए आंशिक क्रेडिट गारंटी स्कीम। उपरोक्त उपाय कर्नाटक सहित संपूर्ण भारत पर लागू होंगे।

(घ) से (च) : सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत पैकेज में एमएसएमई क्षेत्र की इकाइयों सहित अर्थव्यवस्था के लिए विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है, जो कि वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है, जो मानक खातों और दबावग्रस्त खातों (एस एम ए-0 और एस एम ए 1) के लिए 3 लाख करोड़ रूपए है। कर्नाटक राज्य सहित राज्यवार आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना का ब्यौरा अनुबंध -I में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, एमएसएमई क्षेत्र में 20,000 करोड़ रूपए के समावेशन के लिए एसएमए 2 तथा एनपीए खातों के लिए अधीनस्थ ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी योजना का कार्यान्वयन भी किया जा रहा है। ये दो योजनाएं मांग आधारित हैं। आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत घोषणा के फलस्वरूप ईसीएलजीएस 13-10- 2020 तक अथवा तीन करोड़ रुपए की राशि संस्वीकृत होने तक प्रचलन में रहेगी । तथापि सीजीएसएसडी 10 वर्षों तक अथवा 20,000 करोड़ की गारंटी राशि के अनुमोदन होने तक प्रचालन में रहेगी।

****

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 856, जिसका उत्तर 17.09.2020 को दिया जाना है, के भाग (घ) से (च) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-I

अनुबंध-I

दिनांक 05.09.2020 तक ईसीएलजीएस के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा राज्यवार और बैंक-वार संवितरण

(करोड़ रुपए में)

बैंक	बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	बैंक ऑफ बड़ौदा	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	कैनरा बैंक	इंडियन बैंक	इंडियन ओवरसीज बैंक	पंजाब एंड सिंध बैंक	पंजाब नेशनल बैंक	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	यूको बैंक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	कुल
अंडमान और निकोबार	0.2	0	2.69	0.07	11.66	4.54	0.05	0	0	49.59	0.73	0.67	70.25
आंध्र प्रदेश	94.21	29	12.57	71.47	301.02	242.98	126.75	9.28	101.19	1403.17	8.99	643.11	3151.74
अरुणाचल प्रदेश	0.57	1	8.79	1.47	4.95	2.58	0.18	0.03	2.65	16.72	0.37	0.12	39.43
असम	26.09	8	68.54	44.73	85.64	65.25	29.22	2.86	161.31	279.13	47.55	41.56	859.88
बिहार	217.7	8	163.85	107.71	178.72	120.21	43.52	6.86	222.9	469.69	31.31	66.72	1638.19
चंडीगढ़	14.12	5	19.7	17.12	23.01	15.16	3.95	19.33	52.45	82.35	4.72	37.39	294.3
छत्तीसगढ़	144.54	35	190.58	110.54	69.4	48.03	9.89	7.23	192.98	391.86	21.13	91.31	1312.49
दादरा और नगर हवेली	0.18	1	29.47	0.93	1.73	2.19	2.31	0	10.85	1.22	0.12	0.35	50.35
दमन और दीव	0.16	0	22.18	0.09	0.51	0.47	0	42.12	3.96	0.42	0.1		70.01
दिल्ली	147.93	33	150.51	76.08	0.72	122.61	124.26	116.12	524.3	472.79	21.62	150.17	1940.11
गोवा	28.59	13	12.59	10.39	179.57	2.27	3.09	0.19	26.47	33.92	1.74	24.06	435.88
गुजरात	451.14	39	1401.75	341.13	56.12	265.42	139.63	25	466.13	2003.43	46.92	362.69	5598.36
हरियाणा	109.34	27	126.44	10.84	174.12	88.57	89.95	52.32	654.3	608.69	27.95	148.55	2215.07
हिमाचल प्रदेश	8.87	1	23.94	28.99	300.97	5.63	2.51	7.71	229.04	289.46	31.18	13.67	942.97
जम्मू और कश्मीर	6.16	1	2.56	5.19	30.9	3.75	0.96	4.09	37.61	49.65	6.73	7.4	156
झारखंड	296.36	3	118.1	25.39	14.59	58.49	26.45	10.76	131.6	359.28	17.77	49.71	1111.5
कर्नाटक	211.1	57	298.12	40.45	86.04	132.53	71.78	8.93	56.59	1159.5	12.22	449.98	2584.14
केरल	38.12	3	115.55	31.52	1368.57	83.47	110	2.02	100.16	1018.83	54.63	196.76	3122.63
लद्दाख	0	0	0	0.34	502.51	0	0	0	0.57	7.38	0	0	510.8
लक्षद्वीप	0	0	0	0.36	0.84	0	0	0	0	0	0	0	1.2
मध्य प्रदेश	268.46	89	297.97	276.08	1.6	90.27	16.97	23.17	280.75	719.55	37	229.15	2329.97
महाराष्ट्र	894.9	991	799.88	234.65	168.75	256.3	184.69	32.08	267.83	1712.44	46.99	666.55	6516.06

मणिपुर	2.27	1	5.78	2.59	443.34	0.91	0.53	1.45	6.25	27.81	2.01	0.08	494.02
मेघालय	1.11	0	8.08	0.67	1	0.7	0.63	0.16	3.59	58.81	0.9	4.13	79.78
मिजोरम	0.48	0	5.82	0.78	4.19	0.05	0.04	0.07	2064	20.08	2.38	0.14	36.67
नागालैंड	0.89	1	12.77	1.51	1.98	2.53	0.1	0.26	1.03	18.88	1.95	0.25	43.15
ओडिशा	135.69	14	145.72	52.11	140.72	102.27	58.23	11.45	243.35	645.76	63.39	142.06	1754.75
पुडुचेरी	3	2	5.2	0.72	14.79	40.36	14.75	1.03	5.97	26.54	8.01	12.25	134.62
पंजाब	114.38	20	125.87	90.73	162.21	92.47	59.15	233.84	740.81	424.46	40.1	19.94	2224.33
राजस्थान	104.38	17	789.96	94.14	203.77	71	29.82	32.8	733.55	1113.64	107.46	61.99	3459.51
सिक्किम	0.36	0	5.57	4.62	3.38	0.944	0.83	0.28	4.02	21.75	1	1.04	43.79
तमिलनाडु	253.85	39	296.84	145.55	1377.29	1008.24	492.91	16.12	277.81	1835.07	56	394.5	6193.18
तेलंगाना	91.83	48	139.94	54.35	291.91	102.02	43.63	4.28	108.27	1080.55	16.76	567.28	2548.82
त्रिपुरा	4.66	1	10.91	1.32	6.37	2.02	1.46	0.17	19.75	49.06	8.95	5.39	111.06
उत्तर प्रदेश	447.76	89	734.91	244.29	586.42	522.83	86.11	104.96	1278.25	1560.87	64.27	496.68	6216.35
उत्तराखंड	28.66	1	153.92	23.94	71.34	22.32	19.49	17.12	17.12	277.05	7.3	47.32	1000.94
पश्चिम बंगाल	232	35	223.52	129.08	189.61	408.3	80.05	35.91	35.91	808.49	108.51	167.88	3155.36

स्रोत : डीएफएस